।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 2925 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, 07/12 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः— मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रूईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का वन भूमिअ हस्तान्तरण। प्रस्ताव सं0 FK/UK/Road/146251/2021.

संदर्भः— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी की पत्र सं0 1644/12—1 दिनांक 03.01.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चाही गयी सूचना अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं0 212/10 एल0ए0 दिनांक 06.11.2023 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:—

क्र0सं0	प्रस्ताव में चाही गयी सूचना	आख्या
1.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–। एवं पार्ट ।। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के0एम0एल0 फाईल एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	ऑनलाईन पार्ट । व पार्ट ।। में अपलोड कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना में मार्ग की लम्बाई 19किमी0 अंकित की गयी है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।	त्रुटिवश 19 किमी0 अंकित की गयी थी, को संशोधित कर 11.625 किमी0 कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण 1.65है0 आरक्षित वन भूमि में लिया गया है का औचित्य स्पष्ट करते हुए मलवा निस्तारण हेतु अन्यत्र स्थल का चयन किया जाय।	चूंकि वर्णित मोटर मार्ग की 6.975किमी0 लम्बाई आरक्षित वन भूमि में अवस्थित है। अतः प्रति 02 किमी0 हेतु 01 डम्पिंग यार्ड का प्राविधान किया गया है।
4.	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना के लिए reclamation plan प्रस्तुत करे।	मलवा निस्तारण योजना के लिए Reclamation प्लान प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
5.	प्रस्ताव में ऑनलाईन ।। के पैरा 4(ii) में प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या 384 तथा हार्ड प्रति में 445 अंकित की गयी है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।	प्रस्ताव में कुल 445 वृक्षो को ऑनलाईन पार्ट ।। के पैरा 4(ii) में अंकित कर दिया गया है।
6.	प्रस्ताव में ऑनलाईन ।। के पैरा 4(ii) एवं हार्ड प्रति में अधिकाशं प्रभावित होने वाले वृक्षो का वैज्ञानिक नाम अंकित नही किया गया है।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षो की सूची में वृक्षो का वैज्ञानिक नाप अंकित कर पार्ट ।। के पैरा 4(ii) में भी अंकित कर दिया गया है।
7.	प्रस्ताव में लैण्ड शेड्यूल एवं प्रभावित होने वाले वृक्षो का विवरण एस0ओ0पी0 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अंकित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर दिया गया है।
8.	प्रस्ताव में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र मं पंत्राक अंकित नही है।	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में पत्रांक अंकित नही किया जाता है।
9.	प्रस्ताव मे पार्ट । के पैरा ।(।।।) में परियोजना का संक्षिप्त विवरण नहीं लिखा गया है।	निराकरण कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव में पार्ट । के पैरा B(i) Uner processing at Sate Government Proposl No FP/UK/Road/11988/2021 का उल्लेख किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।	फॉरेस्ट ऑनलाईन पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण प्रदर्शित हो रहा था। एन0आई0सी0 से वार्ता के उपरान्त निराकरण कर लिया गया है।
11.	प्रस्ताव में पार्ट । के पैरा ग(ण्ण) में से अस्थायी रोजगार (व्यक्ति दिनों की संख्या) में 40000000 अंकित किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।	वास्तविक अस्थायी रोजगार की संख्या 2360000 है जिसे प्रस्ताव में संशोधित कर लिया गया है।
12	प्रस्ताव में पार्ट । Additional information में एन0पी0वी0 का प्रमाण पत्र विना हस्ताक्षर के अपलोड किया गया है।	हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।

Scanned with CamScanner

13.	प्रस्ताव में वैकल्पिक संरेखण प्रेषित किया जाय।	वैकल्पिक संरेखण तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।
14.	प्रस्ताव में के0एम0एल0 फाईल का डी0एस0एस0 एनालिसिसि किया गया जिसमें कुल प्रभावित क्षेत्रफल 18.00है0 (एम0डी0एफ0–7है0, नॉन फॉरेस्ट–7है0, ओपन फॉरेस्ट–2है0, वी0डी0एफ0–2है0, प्रदर्शित हो रहा है जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव 10.3125है0 (वन भूमि 7.95है0 नाप भूमि 2.3625है0) का प्रेषित किया गया है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।	चूंकि शासनादेश संख्या 5861/।।(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 04.12.2018 द्वारा विकासखण्ड घाट में बंगाली से विकासखण्ड थराली के रूईसाण तक कुल 22किमी0 लम्बाई हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त है जिसके संरेखण स्वीकृति से पूर्व डिजिटल मैप व के0एम0एल0 फाईल तैयार की ली गयी थी, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर के पत्रांक 2178/518 यातायात–7/2020 दिनांक 29.06.2023 द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग हेतु कुल 11.625 किमी0 संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसके क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु कुल 11.625किमी0 हेतु ही प्रस्ताव गठित किया गया है अतः के0एम0एल0 फाईल कुल 22 किमी0 तथा प्रस्ताव कुल 11.625 किमी0 होने के कारण उक्त विसंगति हुई जिसके निराकरण हेतु पुनः 11.625 किमी0 हेतु डिजिटल मैप व के0एम0एल0 फाईल तैयार कर प्रस्ताव संशोधित कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– प्रस्ताव की 03 प्रतियां।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 2925 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner